



राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक :- 6

दिनांक : 28.6.24

सीमित निविदा सूचना

आयोग में आर.ओ. वाटर कूलर क्रय करने के लिए प्रतिष्ठित डीलर्स/विक्रेताओं आदि से निविदा आमंत्रित की जाती हैं। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	नग	अनुमानित वार्षिक मूल्य	बोली प्रतिभूति	बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय
01	R.O 10 Ltr. Storage capacity 10 ltr. water discharge capacity 20 ltr/hr. UV + UF+ TDS control. UV LED in water tank. Quad purification. ABS body	03				
02	Water cooler 40-80 Ltr. Storage capacity, 7.5 amp Rated current, Power Input – 1550, Chiller tank stainless steel, at 10 C temperature, drop 245, Classes of Rate condition 750, Condenser tubing grooved copper, ISI Certified, Compressor Warranty - 5 Years.	03	1,66,000 / -	3,320 / -	दि. 05.07.24 अपरान्ह 03:00 बजे	दि. 05.07.2024 अपरान्ह 04:00 बजे

बिड प्रपत्र एवं क्रय कि जाने वाली सामग्री का विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in/tenders> एवं <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है। बिड प्रतिभूति राशि ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा कराकर चालान की प्रति संलग्न करना आवश्यक है इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1. बिड प्रतिभूति राशि 3,320 / - ई-ग्रास चालान क्रमांक दिनांक से बजट मद 8443-103-00 में जमा करा चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।


उपसचिव


सहायक सचिव
(स्टोर)


सहा.लेखाधिकारी-1
(लेखा)


उप सचिव
(स्टोर)


उप सचिव
(लेखा)

बिड सं. : 6

बिड जमा कराने की अंतिम दि.:- 05.07.2024

अपरान्ह 3.00 बजे तक

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

निविदा प्रपत्र

आर.ओ.वाटर कूलर क्रय करने के लिए निविदा सूचना।

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता :-
..... मय दूरभाष/मोबाइल नं. :-
बैंक खाता सं. बैंक का नाम
शाखा का नाम IFSC CODE.....
2. किसको सम्बोधित किया गया - सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संदर्भ : बिड सूचना संख्या दिनांक
4. बिड प्रतिभूति राशि 3,320/- चालान क्रमांक दिनांक के द्वारा जमा करा दी गयी है।
5. GST पंजीयन सं. PAN नं. (प्रति संलग्न करें)
6. हम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से वाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।)
7. बिडदाता को बिड सिक्योरिटी राशि केवल ई-ग्रास चालान के माध्यम से ही जमा करानी होगी।
8. बिड प्रपत्र में GST कर पंजीयन एवं PAN नम्बर प्रस्तुत किये जाने हैं।
9. आयोग कार्यालय की मांग अनुसार सामग्री एक साथ सप्लाई की जानी है।
10. बिड प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करे। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार आयोग का होगा।
12. बिडदाता को अपनी फर्म के लैटर हैड पर फर्म के ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. बिडदाता संबंधित कम्पनी जिसके आर ओ एवं वाटर कूलर हेतु निविदा दे रहा है का अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/अधिकृत विक्रेता होना अनिवार्य है (प्रमाण संलग्न करें)।
14. बिडदाता संबंधित आईटमों के ब्राण्ड एवं मॉडल नं. का उल्लेख करे साथ ही संबंधित का Brochure भी संलग्न करें।
15. बिड दाता को अपनी दरें प्रति आईटम सभी करों सहित अंकित करनी है।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

सहायक सचिव
(स्टोर)

सहा.लेखाधिकारी--।
(लेखा)

उप सचिव
(स्टोर)

उप सचिव
(लेखा)

बिड एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी—बिडदाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बिड भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।


1. बिडदाता को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिड उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करनी चाहिए।
2. बिड में चाहे गये माल की दरे अधिकृत डीलर्स/विक्रेताओं द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना है। अधिकृत डीलर/विक्रेता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. GST कर पंजीयन— कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित GST कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो GST कर पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जानी होगी।
4. बिड प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायेगा। पेंसिल से भरी गयी किसी भी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। बिडदाता बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर फर्म सील/मोहर लगाए जाने चाहिए। अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
6. विधि मान्यता— बिड, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
7. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
8. बिडदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
9. विशेष विवरण स्पेसीफिकेशन्स —
 1. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बिड में निर्धारित स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।
 2. क्रेता अधिकारी का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय बिडदाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
 3. वारंटी एवं गारंटी का खंड— बिडदाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी की दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। बिडदाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा बिडदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।


10 रद्द करना (Rejection) :-

1. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा बिडदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।


सहायक सचिव
(स्टोर)


सहा.लेखाधिकारी—।
(लेखा)


उप सचिव
(स्टोर)


उप सचिव
(लेखा)

2. तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बिडदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

रद्द की गयी वस्तुओं को बिडदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बिडदाता की जोखिम एवं उसके मददे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

11 करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit) :-

1. सफल बिडदाता को आदेश के प्राप्त होने से 10 दिन की अवधि के भीतर करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बिड स्वीकार की गयी हैं, प्रदाय आदेश के मूल्य के 05 प्रतिशत के बराबर कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बिड के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे प्राप्त हो से 10 दिन के भीतर जमा करायी जावेगी।

i. निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत लघु उद्योग इकाइयों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे निविदा दे रहे हैं उन सामानों के विक्रय के लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे प्रदाय आदेश के मूल्य के 01 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगी।

ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

iii. रुग्ण इकाई हेतु प्रतिभूति राशि प्रदाय आदेश के मूल्य की 02 प्रतिशत होगी।

2. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी/सावधि जमा (FDR) किसी भी रूप में जमा करायी जा सकती है।

12 बिड कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण : बिड कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :-

- 1 जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- 2 जब बिडदाता सम्पूर्ण सप्लाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो
- 3 बिड प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बिडदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

- 13 क्रेता अधिकारी किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडदाता ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।

- 14 बिड प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील संयुक्त सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर एवं द्वितीय अपील प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, जयपुर को की जा सकेगी।

- 15 बिडदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर फर्म की सील लगाया जाना आवश्यक है।

- 16 RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 के प्रावधान एवं निविदा प्रपत्र की शर्तों में भिन्नता होने पर RTPP नियम 2013 के प्रावधान एवं शर्तें मान्य होंगे।

- 17 नियमानुसार लागू समस्त करों की कटौती आयोग द्वारा की जाएगी।

मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

बिडदाता के हस्ताक्षर



सहायक सचिव
(स्टोर)



सहा.लेखाधिकारी-।
(लेखा)



उप सचिव
(स्टोर)




उप सचिव
(लेखा)

बिडदाताओं द्वारा घोषणा


मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालो/स्टोर्स/उपकरणों के लिये बिड दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोल सेलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं। (प्रति संलग्न)

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पूत कर लिया जाएगा तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर


सहायक सचिव
(स्टोर)


सहा.लेखाधिकारी-।
(लेखा)


उप सचिव
(स्टोर)


उप सचिव
(लेखा)

राजस्थान सरकार

बिड क्रमांक

दिनांक :-

शपथ-पत्र (कंपनी/फर्म/एजेन्सी के लेटर हेड पर)

मैसर्स (कंपनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता)

..... शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. बिड क्रमांक दिनांक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ/दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाए जाने पर इराकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी।

2. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कंपनी/फर्म/एजेन्सी केंद्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम

पद

फर्म/कंपनी/एजेन्सी का नाम

फर्म/कंपनी/एजेन्सी का पता


प्रधान सचिव
(स्टोर)


सहा.लेखाधिकारी-1
(लेखा)


उप सचिव
(स्टोर)


उप सचिव
(लेखा)